संख्या-275/2018/543/69-1-2018-97(म0ब0-83)/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2018

विषय: शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग,जल निकासी,नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि से जनपद-आजमगढ़ की 32 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4887/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 08 मार्च, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-आजमगढ़ की न0पा0प0, आजमगढ़ की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 33 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-844/2016/2755/69-1-16-97(म0ब0-83)/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 (क्रमांक-2) द्वारा रू0 428.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 214.05 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की जा चुकी थी। उक्त परियोजनाओं में से 32 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में रू0 206.92 लाख की धनराशि (रूपये दो करोड़ छः लाख बानबे हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0 एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/ 69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
3. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-2/

785

4. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

5. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

6. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा संयुक्त सचिव/विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

15. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

-3/

16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-275/2018/543(1)/69-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, आजमगढ़।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-275/2018/543/69-1-2018-97(म0ब0-83)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	आजमगढ़	न0पा0परि0 आजमगढ़	मु0 हरिवंशपुर में आर0के0बी0के0 पेट्रोल पम्प के सामने से बारात घर तक इण्टरलाकिंग सड़क, कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	12.80	6.40
2	तदैव	तदैव	मु0 हरिवंशपुर में नागेन्द्र राय के घर से यशवन्त सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	17.05	8.525
3	तदैव	तदैव	मु0 हरिवंशपुर में अनिल सिंह के घर से विजय राय के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	11.89	5.945
4	तदैव	तदैव	मु0 हरिवंशपुर में वेलईसा लिंक रोड से मान बहादुर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	11.84	5.92
5	तदैव	तदैव	मु0 सिधारी पश्चिमी में मंशु के घर से हासिम के घर तक मिट्टी भराई, इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	19.71	9.855
6	तदैव	तदैव	मु0 सर्फुद्दीनपुर में प्राथमिक विद्यालय (नगर क्षेत्र) से रेलवे स्टेशन तिराहा तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	18.31	9.155
7	तदैव	तदैव	मु0 सर्फुद्दीनपुर में राम भुवाल के प्लाट से गिरधरपुर नाला तक रिटर्निंग वाल, मिट्टी, इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	8.54	4.27
8	तदैव	तदैव	मु0 हरिवंशपुर (लहुरी माँ) के मन्दिर से पूरब गुप्ता के घर तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	9.44	4.72
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 12 के मु0 हरबंशपुर में रामाधार के घर से इन्द्रजीत के घर होते हुये रमन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	8.74	4.37
10	तदैव	तदैव	मु0 हरिबंशपुर में लहुरी माई मन्दिर से बलवन्त वकील के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	17.05	8.525
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 12 के मु0 हरबंशपुर में हरिचन के घर से अरुण के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	9.19	4.595
12	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 12 के मो0 हरबंशपुर में सोहन के घर से गुड्डु के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क	4.74	2.37

http://shasanadesh.nic.in

			का निर्माण कार्य।		
13	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 12 के मो0 हरवंशपुर में सुलचन्द के घर से उमेश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	2.66	1.33
14	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 12 के मु0 हरवंशपुर में राजभान के घर से राजवली के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	7.09	3.545
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 12 के मु0 हरवंशपुर में दिनेश के घर से धर्मेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	18.34	9.17
16	तदैव	तदैव	मो0 सर्फुद्दीनपुर में लालसा के घर से सुरेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	8.70	4.35
17	तदैव	तदैव	मु0 सर्फुद्दीनपुर में राजदेव के घर से विजयी के घर होते हुये सीताराम के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	7.35	3.675
18	तदैव	तदैव	मु0 कुन्दीगढ़ में शहजादे के मकान से हंसराज मल्लाह के घर होते हुये लल्लू सोनकर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.91	4.955
19	तदैव	तदैव	मु0 दलसिंगार कटरा में हनुमान अग्रवाल के घर से अव्वासी तथा तौफीक के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	5.14	2.57
20	तदैव	तदैव	मु0 रैदोपुर काली चौरा में राजेन्दर लाल श्रीवास्तव के घर से नगेश्वर गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	8.10	4.05
21	तदैव	तदैव	मु0 नरौली में रामसमुझ चौहान के घर से राजा राम चौहान तथा प्रकाश चौहान के घर होते हुए केदार चौहान के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	5.71	2.855
22	तदैव	तदैव	मु0 मड़यों में मुन्नर निशाद के घर से मछली मार्केट तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	16.83	8.415
23	तदैव	तदैव	मु0 मड़यों में स्वदेशी स्टेशनरी से शम्भू अग्रवाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	16.83	8.415
24	तदैव	तदैव	मु0 मड़यों (ठण्डी सड़क) मेन रोड से चौहान भवन तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	21.03	10.515
25	तदैव	तदैव	मु0 सिधारी तिराहा में हड़हा बाबा पिच मार्ग से हनुमान मन्दिर होते हुये पिच रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली का निर्माण कार्य।	25.05	12.525
26	तदैव	तदैव	मु0 हरवंशपुर में लहुरी माई माता के मन्दिर	15.56	7.78

http://shasanadesh.up.nic.in

			से सुरेन्द्र मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।		
27	तदैव	तदैव	मु0 हरबंशपुर में राम कवल चौबे के मकान से गायत्री मन्दिर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	11.69	5.845
28	तदैव	तदैव	मु0 हरबंशपुर में के0एन0 कुशवाहा के मकान से रामबदन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	5.08	2.54
29	तदैव	तदैव	मु0 हरबंशपुर में श्री प्रमाश राय के मकान से संजय सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	11.69	5.845
30	तदैव	तदैव	मु0 हरबंशपुर के नीवी नई कालोनी में गुलाब राय के घर होते हुये विजय राय व संजय यादव के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	15.69	7.845
31	तदैव	तदैव	मु0 टीचर्स कालोनी (जोधीकापुरा) हीरापट्टी में रिजवान के घर होते हुये मस्जिद तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	32.50	16.25
32	तदैव	तदैव	मु0 सिधारी में विशाल सिनेमा हाल के बगल से डॉ0 खान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	19.59	9.795
योग				413.84	206.92

(रूपये दो करोड़ छः लाख बानबे हजार मात्र)

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in